F. No: 32001/14/2020/NCVET/234

Government of India

National Council for Vocational Education & Training

Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

Kaushal Bhawan
B-2 PusaRoad, Karol Bagh
New Delhi–110005
Dated:-10.06.2020

OFFICE ORDER

Subject: - Recognition of Directorate General of Training (DGT) as an Awarding body and Assessment Body by National Council for Vocational Education and Training (NCVET)

The Gazette Notification dated Dec 05, 2018 - *SD-17/113/2017-E&PW* for setting up the National Council for Vocational Education and Training, lays down that, *"the National Council for Vocational Education and Training constituted under paragraph 2 will subsume the existing National Council for Vocational Training(NCVT) and the National Skill Development Agency(NSDA)."*

2. Paragraph 42 under chapter 7 of the notification provides that '.....the National Council for Vocational Training shall continue to perform their respective functions, under the National Council for Vocational Education and Training, for not more than 180 days, from the constitution of the Council....'.

3. Since the NCVET was operationalized on 4th December, 2019, for smooth transition of DGT ecosystem, following decisions are taken by NCVET, with immediate effect:

i. The definitions for terms such as awarding body, assessment body, long term training, short term training will be as defined as per the above Gazette notification.

ii. All references and mechanisms relating to NCVT in DGT guidelines and procedures to be looked into for suitable replacement.

iii. DGT is recognized as a sole '**Awarding Body**' and a sole '**Assessment Body**' for long term trainings and training of trainers in ITIs and NSTIs/IToTs with respect to all qualifications created by DGT and approved by NCVET for the purpose.

iv. DGT is recognized as an '**Awarding Body**' and an '**Assessment Body**' for short term trainings and ToTs,in training bodies that are accredited by it, with respect to its

10/6/2020

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
DG (T)
Dy. No.
Dt.

10/6/2020

NSQF aligned qualifications.

v. DGT will continue to use its own guidelines and norms for carrying out awarding and assessment functions till NCVET issues its own guidelines.

vi. DGT will formulate its own guidelines for accreditation process and norms for training bodies in conformity with the requirement of qualifications, for long term training, training of trainers and short-term trainings and inform the NCVET along with any changes that may occur in future.

vii. DGT will accredit training bodies for imparting long-term vocational training, training of trainers, short-term trainings, apprenticeship training and/or recognition of prior learning as per the accreditation norms.

viii. DGT, as per curriculum set by itself, lay down standards of proficiency for a pass in examination, and award certificate to trainees who have been trained in an accredited training body and examined and passed with respect to an affiliated qualification or skill;

Provided that such a certificate shall be in a form as approved by the NCVET. This will be implemented from the next academic year (August 2020). Additionally, for students enrolled earlier, including those appearing for supplementary, the old certificate format will continue to be valid.

ix. DGT will conduct assessments for approved qualifications and develop methods, framework and tools for assessing a qualification or skill. DGT will monitor the functioning of its accredited/affiliated training bodies as per the conditions of accreditation.

x. DGT will set up two separate systems of grievance redressal both for the purpose of affiliation and assessments.

xi. DGT will have rights and obligations of Awarding Bodies and Assessment Body as per the above notification.

xii. Section 21(i) of the Apprentices Act, 1961 lays down that 'every trade apprentice who has completed the period of training shall appear for a test to be conducted by the National Council to determine his proficiency in the designated trade in which he has undergone his apprenticeship training'. In terms of provisions under Paragraph 1(vii) of the notification, DGT will continue to exercise the powers under Section 21 of the Apprentices Act, 1961, on behalf of NCVET, for holding tests, monitoring and implementation of Apprenticeship Training Scheme for the Trade and Vocational apprentices.

10/6/2020

xiii. The DGT guidelines/ norms/ processes will be in conformity with the NCVET guidelines.

xiv. DGT will share relevant information with NCVET on regular intervals, as required by NCVET.

xv. DGT will comply with any changes brought about by NCVET from time to time.

This issues with the approval of the competent authority.

11/6/20

Sandhya Salwan
Director, NCVET

Copy to:

1. P. S. to Secretary & Chairman,NCVET
2. P.S. to Ex. Member,NCVET
3. DDG1/DDG2 DDG, DGT
4. Establishment of NCVET
5. AllConcerned

10/6/2020

फा. सं: 32001/14/2020/एनसीवीईटी /234

भारत सरकार

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

कौशल भवन
बी-2 पूसा रोड, करोल बाग
नई दिल्ली – 110005
दिनांक: 10.06.2020

कार्यालय आदेश

विषय: राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) को अवार्डिंग निकाय तथा आकलन निकाय के रूप में मान्यता देना

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करने के लिए दिनांक 05 दिसंबर, 2018 – एसडी-17/113/2017-ईएंडपीडब्ल्यू की राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित है कि ''पैराग्राफ 2 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद में मौजूदा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) सम्मिलित होंगे''।

2. अधिसूचना के अध्याय 7 के तहत पैराग्राफ 42 में यह उल्लेख है कि '...राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी), जो कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के अंतर्गत है, वो अपने संबंधित कार्यों को परिषद के गठन से अधिकतम 180 दिनों तक करना जारी रखेगी'।

3. चूंकि एनसीवीईटी को 04 दिसंबर, 2019 को शुरू किया गया था, डीजीटी ईकोसिस्टम के सुचारु रूप से परिवर्तिन के लिए, तत्काल प्रभाव से एनसीवीईटी द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

i. अवार्डिंग निकाय, मूल्यांकन निकाय, दीर्घकालिक प्रशिक्षण, अल्पावधि प्रशिक्षण जैसे शब्दों की परिभाषाएं उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना के अनुसार परिभाषित की जाएंगी।

ii. डीजीटी दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं में एनसीवीटी से संबंधित सभी संदर्भों और तंत्रों की उपयुक्त प्रतिस्थापन के लिए जांच की जाएगी।

iii. डीजीटी द्वारा सृजित सभी अर्हताओं, जो एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित है, से संबंधित आईटीआई तथा एनएसटीआई/आईटीओटी में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण के लिए एकमात्र **'अवार्डिंग निकाय'** तथा एकमात्र **'आकलन निकाय'** के रूप में मान्यता दी जाती है।

iv. डीजीटी को अपनी एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं से संबंधित प्रशिक्षण निकायों, जो इसके द्वारा प्रत्यायित है, में अल्पावधि प्रशिक्षण तथा टीओटी के लिए एक **'अवार्डिंग निकाय'** तथा एक **'आकलन निकाय'** के रूप में मान्यता दी जाती है।

Copy
10/6/2020

v. जब तक एनसीवीईटी अपने दिशा-निर्देश जारी नहीं करता है तब तक डीजीटी अवार्डिंग तथा आकलन कार्यों के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देशों और मानदंडों का उपयोग करता रहेगा।

vi. डीजीटी, दीर्घावधि प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और अल्पावधि प्रशिक्षण के लिए अर्हताओं की अपेक्षानुसार प्रशिक्षण निकायों के लिए प्रत्यायन प्रक्रिया और मानदंडों हेतु अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तैयार करेगा और भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में एनसीवीईटी को सूचित करेगा।

vii. डीजीटी, प्रत्यायन मानदंडों के अनुसार दीर्घावधि व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, अल्पावधि प्रशिक्षण, शिक्षुता प्रशिक्षण और/अथवा पूर्व शिक्षण की मान्यता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण निकायों को प्रत्यायित करेगा।

viii. डीजीटी, स्वयं के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दक्षता के मानकों को निर्धारित करता है और ऐसे शिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जो किसी प्रत्यायित प्रशिक्षण निकाय से प्रशिक्षित हैं और संबद्ध अर्हता अथवा कौशल से संबंधित परीक्षा ली है और उसे उत्तीर्ण किया है;

बशर्ते कि इस तरह का प्रमाण-पत्र एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित हो। इसे अगले शैक्षणिक वर्ष (अगस्त 2020) से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व नामांकित छात्रों के लिए, जो पूरक परीक्षा के लिए उपस्थित थे, के लिए पुराने प्रमाण पत्र का प्रारूप मान्य रहेगा।

ix. डीजीटी अनुमोदित अर्हताओं का आकलन करेगा और अर्हता अथवा कौशल का आकलन करने के लिए पद्धति, ढांचे और उपकरणों को विकसित करेगा। डीजीटी प्रत्यायन शर्तों के अनुसार अपने प्रत्यायित/संबद्ध प्रशिक्षण निकायों के कार्यों की निगरानी करेगा।

x. डीजीटी, संबद्धता और आकलन के उद्देश्य के लिए शिकायत निवारण की दो अलग-अलग प्रणाली स्थापित करेगा।

xi. उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार , डीजीटी के पास अवार्डिंग निकायों और आकलन निकाय के अधिकार और दायित्व होंगे।

xii. शिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 21 (i) में उल्लेख है कि 'प्रत्येक ट्रेड शिक्षु, जिसने प्रशिक्षण की अवधि पूरी की है, नामित ट्रेड में अपनी दक्षता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उपस्थित होगा, जिसमें उसने शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है'। अधिसूचना के पैराग्राफ 1 (vii) के तहत प्रावधानों के अनुसार, डीजीटी, एनसीवीईटी की ओर से, ट्रेड तथा व्यावसायिक शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम की जांच, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए शिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 21 के तहत शक्तियों का प्रयोग जारी रखेगा।

xiii. डीजीटी के दिशा-निर्देश/मानदंड/प्रक्रियाएं, एनसीवीईटी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगी।

xiv. डीजीटी, आवश्यकतानुसार नियमित अंतराल पर एनसीवीईटी को आवश्यक जानकारी साझा करेगा।

xv. डीजीटी समय-समय पर एनसीवीईटी द्वारा किए गए किसी भी बदलाव का अनुपालन करेगा।

10/6/2020

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संध्या सलवान

संध्या सलवान
निदेशक, एनसीवीईटी

प्रतिलिपि प्रेषित:
1. सचिव तथा अध्यक्ष, एनसीवीईटी के निजी सचिव
2. कार्यपालक सदस्य, एनसीवीईटी के निजी सचिव
3. डीडीजी 1/डीडीजी 2 डीडीजी, डीजीटी
4. स्थापना, एनसीवीईटी
5. संबंधित सभी

10/1/2020